



2026:AHC:34506

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 118 वर्ष 2026

प्रबंधन समिति श्री गांधी इंटर कॉलेज हरपुर

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

...प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: आस्था मिश्रा, अवनीश त्रिपाठी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रमेश चंद्र द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

आदेश

1. वर्तमान मामले में, प्रतिपक्षी निजी प्रतिवादी ने वर्तमान रिट याचिका की विचारणीयता पर उसके वर्तमान स्वरूप में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि इसके साथ आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए और अपने प्रबंधक को उनकी ओर से कार्य करने के लिए और अधिकृत करने हेतु प्रबंधन समिति का कोई प्रस्ताव संलग्न नहीं है।

2. वर्तमान रिट याचिका, श्री गांधी इंटर कॉलेज, हरपुर बुधात, गोरखपुर नामक कॉलेज की प्रबंधन समिति द्वारा, याचिकाकर्ता संख्या 1 के रूप में, अपने प्रबंधक, याचिकाकर्ता संख्या 2 के माध्यम से, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा दिनांक 24.12.2025 को पारित एक आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को निलंबित करने के दिनांक 26.10.2025 के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है।

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. ओझा, जिन्हें याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी ने सहायता प्रदान की है, ने तर्क दिया है कि कॉलेज के विभिन्न कार्यों को प्रबंधन समिति के माध्यम से संचालित करने के लिए प्रशासन की एक योजना है, जो प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी और शक्तियाँ भी निर्धारित करती है। प्रबंधन समिति के प्रबंधक के पास व्यापक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ हैं, जिसमें उनकी ओर से अभिवचनों आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होना भी शामिल है। संदर्भ के लिए, प्रशासन की योजना का प्रासंगिक खंड नीचे उद्धृत किया गया है:-

"17. प्रबन्ध समिति के कर्तव्य एवं कृत्य- प्रबन्ध समिति के अधिकार कर्तव्य एवं कार्य जहां तक जुड़ाव से असहमत न हो निम्नलिखित होंगे:-

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 क एवं 16 ख के अधीन बने परिषद के विनियम के अध्याय-

1- प्रशासन की योजना के अन्तर्गत विनियम 13 में निहित अधिकार एवं कार्य प्रबन्ध समिति द्वारा सम्पादित किये जायेंगे, जो निम्नलिखित रूप से परिभाषित किये गये हैं-

2- संस्था के प्रधान प्रबन्धक द्वारा शिक्षकों / कर्मचारियों की सेवापंजिका में की गयी प्रविष्टियों के विरुद्ध अपीलों पर निर्णय देना।

3- जहाँ प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य को अधिकार प्राप्त है उनके अतिरिक्त संस्था के कर्मचारियों को समस्त अवकाश स्वीकृत करना।

4- बालकों की निधियों (छात्रनिधियों) को छोड़कर संस्था के समस्त धनराशियों, प्रतिभूतियों (जमानतों) सम्पत्ति तथा संदानों का नियंत्रण तथा प्रबन्धन एवं उनकी निरापद परिरक्षा, विनियोग, मरम्मत, अनुरक्षण और विधिक रक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

5- शासन से प्राप्त अनुरक्षण और विकास अनुदानों तथा प्रतिपूर्तियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना।

6- संस्था के लिए समस्त आय (छात्रवृत्तियाँ और बालकों की निधियों को छोड़कर) चंदा, दान, भेंट, लाभांश, ब्याज, अनुदान, आदि प्राप्त करना तथा उसके अधिकारों एवं कार्यों से उठाने वाले वित्तीय दायित्वों को पूरा करना।

7- शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले आदेशों / निर्देशों का पालन करना।

8- एक्ट के उपबन्ध एवं विनियम व अनुबन्धों के रहते हुए प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक पदों पर उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा समय समय पर संशोधित शासनादेशों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के प्राविधानानुसार/शासनादेशानुसार की जायेगी। लिपिक की नियुक्ति प्रबन्ध



समिति द्वारा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार विभागीय अनुमोदन से की जायेगी।

6. उ०प्र० हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1971 की धारा 9 के अन्तर्गत सृजित रिक्त पद एवं विहित प्रक्रिया के आभाव में तथा उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी समय समय पर संशोधित शासनादेशों से परे अन्य अनियमित/फर्जी नियुक्ति की स्थिति पाये जाने पर उक्त वर्णित अधिनियम/विनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

7. विद्यालय में छात्रों का फर्जी नामांकन पाये जाने की स्थिति में प्रबन्ध समिति को अतिक्रमित करने की कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं अधिनियम में जारी शासनादेशों, विभागीय निर्देशों के अन्तर्गत की जायेगी।"

"20. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य-

पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

1. अध्यक्ष-

क- समिति की बैठक की अध्यक्षता करना।

ख - बैठक करने के लिए तिथि समय एवं स्थान का अनुमोदन करना परिवर्तन करना और बैठक को स्थगित करना।

ग- इस बात की देखभाल करना कि यह प्रशासन योजना समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा निष्ठा के साथ कार्यान्वित की जाय।

घ- संस्था तथा उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त अनुबन्धों, संविदाओं के समस्त अभिलेखों तथा अन्य लेखों पर प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

ड- समिति की स्वीकृति की प्रत्याशी में अधिक से अधिक रूपया 500/- (रूपया पाँच सौ) तक की धनराशि को व्यय करना।

च- आपत्ति की स्थिति में जब कोई बैठक बुलाई न जा सके तो जिला विद्यालय निरीक्षक की सहमति से समिति की ओर से उस सीमा तक कार्य करना जिस सीमा तक उस समिति



के संकल्प द्वारा एतर्था प्राधिकृत किया गया हो, अपने द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना तत्काल समिति को देना।

छ- ऐसे अन्य अधिकारों को प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो इस योजना या तत्समय प्रचलित किसी नियम अथवा उप नियम द्वारा उसे दिये गये हो, उस पर आरोपित किये गये हो।

2. उपाध्यक्ष-

क- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसके अपने कर्तव्यों का पालन करने से असमर्थ हो जाने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

ख - ऐसे समस्त अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा उसे लिखित रूप से प्रतिनिहित किये गये हो।

3. प्रबन्धक-

1. संस्था के लिए समस्त अनुदान, दान तथा चन्दे आदि प्राप्त करना और उनके लिए यथाविधि रसीद देना।

2. समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था के समस्त सम्पत्तियों तथा धनराशियों के प्रबन्ध तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

3. नियमों तथा स्वीकृति की शर्तों के अधीन रहते हुए बजट में की गयी व्यवस्था के भीतर संस्था के वित्त का प्रशासन तथा नियंत्रण करना।

4. कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संस्था के समस्त लेखों को संचालित और उसकी वार्षिक लेखा परीक्षा का प्रबंधन करना।

5. संस्था के शिक्षकों तथा सभी कर्मचारियों के वेतन वृद्धियों तथा देय धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करना और जब कोषाध्यक्ष शिफारिश करे तो समिति द्वारा प्राधिकृत व्यय में से अन्य सेवाओं तथा सामग्रियों के लिए भुगतान सुनिश्चित करना।

6. संस्था से संबंधित समस्त अनुबन्ध तथा संस्था की अचल सम्पत्ति से संबंधित हस्तान्तरण संविदा के समस्त विलेखों तथा अन्य लेखों पर अध्यक्ष के साथ-साथ संयुक्त हस्ताक्षर करना।



7. वार्षिक बजट तैयार करना और समिति/सभा के समक्ष रखें जाने के लिए उन्हें अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।
8. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
9. संस्था को संबंधित मामलों में समिति संस्था तथा सभा की समस्त कानूनी कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करना और उनकी कार्यवाहियों तथा मामलों में उनकी ओर से अभिकथनो (प्लीडिंग्स) पर हस्ताक्षर करना तथा उन्हें सत्यापित करना।
10. अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक बुलाना और संस्था के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बन्ध समस्त पत्र व्यवहार रजिस्ट्रों तथा पुस्तकों को अभिलेख करना।
11. उस दशा को छोड़कर जब प्रधानाचार्य में ऐसा अधिकार निहित हो, समिति द्वारा प्राधिकृत सीमा तक संस्था के कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करना।
12. समिति की स्वीकृति की प्रत्याशी में अधिक से अधिक ₹0 500/- (पाँच सौ रुपये) तक की धनराशि व्यय करना।
13. यदि समिति ने तदर्थ अधिकार दिया हो तो संस्था के किसी शिक्षक, लिपिक पुस्तकालयाध्यक्ष की जाँच तथा समिति का अन्तिम आदेश होने तक के लिए विनियमों के अनुसार निलम्बन करना तथा की गयी कार्यवाही की सूचना समिति को देना।
14. एक ओर समिति तथा दूसरी ओर प्रधानाचार्य के माध्यम से संस्था के कर्मचारी वर्ग, शिक्षा विभाग तथा बोर्ड के बीच पत्र व्यवहार के सामान्य माध्यम के रूप में कार्य करना।
15. समिति तथा सभा के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उनके मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
16. विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा नियुक्ति पत्र निर्गत करना।
17. ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस योजना द्वारा तत्समय प्रचलित किसी नियम अथवा विधि द्वारा उसे दिये गये हो या उस पर रोपित किये गये हो।
18. संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना।
19. सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना।



20. संस्था के कार्यवाही को लिपिबद्ध करना एवं सुनाना।

4- उप प्रबन्धक:-

1. प्रबन्धक को उसके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देना और उसकी ओर से उन मामलों में काम करना जो उसे प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप से निर्दिष्ट तथा प्रतिनिहित किये गये हो तथा प्रबन्धक को उसके कर्तव्यों का पालन करने में अस्मर्थ हो जाने पर और प्रबन्धक का पद रिक्त होने पर कोई स्थाई व्यवस्था होने तक प्रबन्धक के रूप में कार्य करना।

5. कोषाध्यक्ष:-

1. संस्था की समस्त धनराशियों तथा निधियों के लेखों को रखना।
2. प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से संस्था के सभी लेखों को संचालित करना।
3. प्राधिकृत व्यय के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशियों की सिफारिश प्रबन्धक से करना।
4. सदस्यता हेतु बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर प्रबन्धक को भेजना तथा सदस्यता स्वीकार होने पर उसे विद्यालय के खातों में जमा करना। सदस्यता से प्राप्त समस्त आय मेन्टीनेन्स खाते में जमा होगी।
5. प्राधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के लिए सभी लेखें, रजिस्टर, प्रमाणक (बाउचर) रसीदें तथा अन्य पत्र जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हो प्रस्तुत करना।
6. आय तथा व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ उसे प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।"

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि उक्त 'प्रशासन की योजना' में 'उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921' के तहत प्रदान की गई 'प्रशासन की मॉडल योजना' के सभी खंडों को शामिल किया गया है, साथ ही विभिन्न अन्य खंडों को भी जोड़ा गया है और इसे अनुमोदित भी किया गया था।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रबंधन समिति की एक बैठक में दिनांक 13.01.2026 के एक प्रस्ताव (जो वर्तमान रिट याचिका दायर करने के बाद अपनाया गया है) का उल्लेख किया है,



ताकि प्रारंभिक आपत्ति को पूरा करने के लिए अत्यधिक सावधानी के रूप में, उपर्युक्त संदर्भित खंड के अनुसार, प्रबंधक को उसकी ओर से अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जा सके, यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं थी।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कानून की इस स्थापित स्थिति का खंडन नहीं किया है कि प्रबंधन समिति का एक प्रबंधक, अपनी एकमात्र क्षमता में, रिट याचिका दायर नहीं कर सकता है और यदि वह राज्य-प्रतिवादी की किसी कार्रवाई से व्यथित है, तो प्रबंधन समिति ही अपने प्रबंधक के माध्यम से रिट याचिका दायर कर सकती है।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, प्रशासन की योजना के उपर्युक्त संदर्भित खंड 20 (3) (9) प्रबंधक को यह निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत करते हैं कि राज्य-प्रतिवादी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाए और इसके लिए प्रबंधन समिति द्वारा इस आशय का कोई नया प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य नहीं है कि क्या सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है, और प्रबंधक, जो उसकी ओर से अभिवचन करने के लिए अधिकृत है, ऐसे मामलों को शुरू करने के लिए स्वयं निर्णय ले सकता है।

8. इसके विपरीत, निजी प्रतिवादी-3 के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी. द्विवेदी ने **सरस्वती विद्या मंदिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2003 (3) एडब्ल्यूसी 1917; सी/एम जूनियर हाई स्कूल सयर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य, 2019:AHC:19863; उमेश चंद्र व अन्य बनाम महिला विद्यालय सोसाइटी, अमीनाबाद, लखनऊ व अन्य, 2006(24) एलसीडी 1373** के मामलों में पारित निर्णयों का उल्लेख किया है कि यह प्रबंधन समिति ही है जो राज्य-प्रतिवादी के किसी भी कार्य से व्यथित हो सकती है, न कि उसका प्रबंधक स्वतंत्र रूप से। इसलिए, इसे चुनौती देने का निर्णय केवल प्रबंधन समिति द्वारा ही लिया जा सकता है, न कि केवल उसके प्रबंधक द्वारा। प्रशासन की योजना का संदर्भित खंड प्रबंधक को प्रबंधन समिति की ओर से कार्य करने, अभिवचनों का पालन करने और न्यायालय या मंच के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है, जैसा भी मामला हो, और यह प्रबंधन समिति की ओर से किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने का नीतिगत निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं करता है, क्योंकि प्रबंधन समिति अन्यथा भी निर्णय ले सकती है।



9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

10. प्रशासन की योजना एक ऐसी प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान करती है, जिसके पास संस्थान के मामलों का प्रबंधन और संचालन करने का प्राधिकार होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-ए की उप-धारा (6) यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रबंधन, उक्त धारा की उप-धारा (1) से उप-धारा (5), तथा धारा 16-बी और धारा 16-सी के तहत और उनके अनुसार तैयार की गई 'प्रशासन की योजना' के अनुसार किया जाएगा। अधिनियम की धारा 16-सीसी यह प्रावधान करती है कि किसी संस्थान के संबंध में 'प्रशासन की योजना', चाहे वह माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारंभ से पहले या बाद में मान्यता प्राप्त हो, तीसरी अनुसूची में निर्धारित सिद्धांतों के असंगत नहीं होगी। तीसरी अनुसूची उन सिद्धांतों को प्रदान करती है जिनके आधार पर 'प्रशासन की योजना' को स्वीकृति दी जाएगी। यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक 'प्रशासन की योजना' प्रबंधन समिति के उचित और प्रभावी कामकाज के लिए प्रावधान करेगी।

11. वर्तमान मामले में, संबंधित कॉलेज की 'प्रशासन की योजना' विधिवत अनुमोदित है। यह प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंधक शामिल हैं, के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का प्रावधान करती है। एक प्रबंधक अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कोई वाद या रिट याचिका दायर नहीं कर सकता है। यह प्रबंधन समिति ही है जो वाद या रिट याचिका दायर कर सकती है और इसके लिए प्रबंधक या किसी अन्य को इसे दायर करने और अभिवचनाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। प्रतिद्वंद्वी पक्षों के अधिवक्ता भी इस मुद्दे पर सहमत हैं।

12. वर्तमान मामले में, प्रशासन की योजना के अनुसार, प्रबंधक को प्रबंधन समिति की ओर से प्रतिनिधित्व करने, यानी अभिवचन करने, पुष्टि करने, कोई भी मामला दायर करने या शपथ पत्र देने के लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रबंधक को कोई वाद या रिट याचिका दायर करने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, एक प्रबंधक प्रबंधन समिति के निर्णय को क्रियान्वित कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में, प्रबंधक को निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत किया जाता है, लेकिन ऐसा प्राधिकरण विशिष्ट होना चाहिए।



13. किसी भी परिस्थिति में, यदि कोई राज्य-प्रतिवादी की किसी कार्रवाई से व्यथित हो सकता है, तो वह केवल प्रबंधन समिति ही होगी, क्योंकि अधिकांश मामलों में आदेश प्रबंधन समिति द्वारा अपनी बैठकों में अपनाए गए प्रस्तावों के आधार पर पारित किए जाते हैं, जैसे कि बर्खास्तगी या निलंबन का आदेश। इसलिए, यदि राज्य-प्रतिवादी द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो आगे के कानूनी उपचार के लिए प्रबंधन समिति को ही निर्णय लेना होगा तथा प्रबंधक अकेले स्वयं या प्रबंधन समिति की ओर से आगे के कानूनी उपचार के लिए निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह प्रबंधन समिति का एक सामूहिक निर्णय होगा। यही कारण है कि ऐसी शक्ति विशेष रूप से 'प्रशासन की योजना' के तहत प्रबंधक को प्रदान नहीं की गई है, बल्कि यह प्रबंधक को कानूनी उपचार लेने के निर्णय के बाद कार्य करने के लिए अधिकृत करती है।

14. प्रबंधक प्रबंधन समिति के निर्णय के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे मामले में जहाँ प्रबंधन समिति राज्य-प्रतिवादी की किसी कार्रवाई को चुनौती न देने का निर्णय लेती है, क्या प्रबंधक उपर्युक्त खंड की आड़ में विपरीत दृष्टिकोण अपनाकर उसे अभी भी चुनौती दे सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' होगा।

15. कानूनी उपचार लेने के निर्णय और तदनुसार कार्य करने के लिए प्रबंधक को अधिकृत करने के बीच स्पष्ट अंतर है। किसी भी परिस्थिति में, प्रबंधक प्रबंधन समिति या सोसाइटी की आम सभा, जैसा भी मामला हो, के निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता है, या अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि यह किसी सोसाइटी के उप-नियमों या 'प्रशासन की योजना' के तहत प्रबंधन समिति के निर्णय के विरुद्ध होगा।

16. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, न्यायालय सरस्वती विद्या मंदिर (उपरोक्त), सी/एम जूनियर हाई स्कूल सयर (उपरोक्त) और उमेश चंद्र (उपरोक्त) का संज्ञान लेता है, जिसमें यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। उक्त निर्णयों का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:-

सरस्वती विद्या मंदिर

(3) इस न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 10663 वर्ष 1976, सरदार पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, देव नगर, मथुरा बनाम उप शिक्षा निदेशक, आगरा क्षेत्र, आगरा व अन्य, 1976 एडब्ल्यूसी 18 में, दिनांक 1.3.1976 के निर्णय और आदेश के माध्यम से टिप्पणी की थी:

प्रतिवादी संख्या 3, बाबू लाल शर्मा के विद्वान अधिवक्ता श्री एन. सी. उपाध्याय ने प्रबंधक केदार नाथ द्वारा दायर याचिका की विचारणीयता पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उन्होंने



तर्क दिया कि प्रबंधन समिति के पास जांच करने और याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार था, प्रतिवादी संख्या 3 को बर्खास्त करने के उसके प्रस्ताव को अपील में उप शिक्षा निदेशक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए, व्यथित पक्ष प्रबंधन समिति थी और याचिका केवल उसी के द्वारा दायर की जा सकती थी; प्रबंधक श्री केदार नाथ के पास इस याचिका को बनाए रखने के लिए कोई लोकस स्टैंडार्ड (सुनवाई का अधिकार) नहीं था। मुझे इस तर्क में काफी दम नजर आता है। प्रतिवादी संख्या 3 के दूसरे शपथ पत्र के पैराग्राफ 43 में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिका स्कूल की ओर से विचारणीय नहीं है क्योंकि यह स्वयं कोई विधिक इकाई नहीं है और इसे प्रबंधन समिति द्वारा दायर किया जाना चाहिए था। इसमें आगे कहा गया था कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखाया गया है कि प्रबंध समिति ने प्रबंधक को याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। इस दावे का उत्तर याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रत्युत्तर-शपथ पत्र के पैराग्राफ 45 में निहित है। इसमें कहा गया है कि पैराग्राफ 43 की सामग्री पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है और उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है; तर्कपूर्ण होने के कारण, इनका अधिक पर्याप्त उत्तर बहस के समय दिया जाएगा। इस प्रकार, प्रत्युत्तर-शपथ पत्र में ऐसा कोई दावा नहीं है कि प्रबंधन समिति ने उप शिक्षा निदेशक के आदेश को चुनौती देने के लिए कोई प्रस्ताव अपनाया था, और न ही ऐसा कोई दावा है कि केदार नाथ को प्रबंधन समिति द्वारा वर्तमान याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया गया था। प्रत्युत्तर-शपथ पत्र में आगे ऐसा कोई दावा नहीं है कि प्रबंधन समिति व्यथित थी या उसने प्रबंधक को याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। वास्तव में, प्रत्युत्तर-शपथ पत्र के पैराग्राफ 45 में निहित अभिवचनों को कानूनी सलाह पर दिखाया गया है, इसमें तथ्यों का कोई भी दावा शामिल नहीं है। वर्तमान याचिका सरदार पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा अपने प्रबंधक श्री केदार नाथ के माध्यम से दायर की गई है। यह याचिका प्रबंधन समिति की ओर से या सोसाइटी की ओर से, यदि कोई सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, तो उसकी ओर से दायर नहीं की गई है। स्पष्ट रूप से, स्कूल या प्रबंधक प्रबंधन समिति की ओर से व्यथित नहीं हो सकते हैं। यह सोसाइटी और प्रबंधन समिति है जो उप शिक्षा निदेशक के आदेशों को चुनौती देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है। प्रबंधक तब तक प्रबंधन समिति के कार्यों को ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो। सरदार पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, सोसाइटी या प्रबंधन समिति की ओर से कोई



भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक विधिक इकाई नहीं है। सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 5808 वर्ष 1970, महताब राय, प्रबंधक, हर नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज बनाम उप शिक्षा निदेशक, जिसे 7 जनवरी 1974 को निर्णित किया गया था, में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने लगभग समान परिस्थितियों में यह माना था कि प्रबंधक या स्कूल के पास जिला विद्यालय निरीक्षक या उप शिक्षा निदेशक के अनुमोदन प्रदान करने से इनकार करने वाले आदेश के विरुद्ध याचिका बनाए रखने के लिए कोई लोकस स्टैंडर्ड (सुनवाई का अधिकार) नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कॉलेज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति और उनकी सेवाओं की समाप्ति प्रबंध समिति या सोसाइटी की शक्तियों के भीतर थी और यह प्रबंध समिति ही है जो नियंत्रण का प्रयोग करती है। ऐसा होने के कारण, प्रबंधक न तो प्रबंध समिति है और न ही सोसाइटी, और वह इस न्यायालय में तब तक रिट याचिका दायर नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो। इस न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के निर्णय 'हरी राज स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव, एआईआर 1951 इलाहाबाद 1' पर भरोसा करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि इसे प्रबंध समिति या सोसाइटी की ओर से दायर नहीं किया गया था। मैं महताब राय के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हूँ। वर्तमान मामले में, न तो सोसाइटी और न ही प्रबंध समिति ने रिट याचिका दायर की है और न ही न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रबंध समिति या सोसाइटी ने प्रबंधक को यह याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया था। इन परिस्थितियों में, याचिका विचारणीय नहीं है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करने हेतु सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया कि उन्हें प्रबंध समिति द्वारा अधिकृत किया गया था। मुझे याचिकाकर्ता को प्रबंधन समिति द्वारा प्राधिकरण दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई स्थगित करने का कोई उचित आधार नहीं मिला। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी संख्या 3 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का कोई लोकस स्टैंडर्ड (सुनवाई का अधिकार) नहीं है और न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं रखा गया था कि प्रबंधन समिति ने उसे अधिकृत किया था। प्रत्युत्तर-शपथ पत्र में, याचिकाकर्ता ने यह फुसफुसाहट भी नहीं की थी कि उसे अधिकृत किया गया है। यदि



याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर-शपथ पत्र में कोई ऐसा बयान दिया होता कि प्रबंधन समिति ने उसे याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया है, तो मैंने स्थगन दे दिया होता, लेकिन प्रत्युत्तर-शपथ पत्र में ऐसे किसी अभिवचन के अभाव में, मैं याचिकाकर्ता को प्रबंधन समिति द्वारा प्राधिकरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए सुनवाई स्थगित करना वांछनीय नहीं समझता हूँ। परिणामस्वरूप, रिट याचिका विचारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। दिनांक: 1.3.1976 हस्ताक्षरित: के. एन. सिंह, न्यायमूर्ति”

(4) पुनः रिट याचिका संख्या 6879 वर्ष 1974 और 12582 वर्ष 1975 : वी. वी. इंटर कॉलेज, शामली बनाम उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक, प्रथम मंडल, मेरठ व अन्य, में दिनांक 7.4.1976 के निर्णय और आदेश के माध्यम से यह टिप्पणी की गई थी:

"..... इन दो याचिकाओं को 6 अप्रैल 1976 को सुनवाई के लिए लिया गया था। सुनवाई की शुरुआत में ही प्रतिवादी-प्रधानाचार्य के विद्वान अधिवक्ता ने इन दो याचिकाओं की विचारणीयता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाएं व्यथित पक्ष द्वारा दायर नहीं की गई हैं, बल्कि इन्हें वी. वी. इंटर कॉलेज, शामली द्वारा दायर किया गया है, जो न तो व्यथित पक्ष है और न ही याचिका बनाए रखने के लिए कोई विधिक व्यक्ति है। मुझे इस तर्क में काफी दम नजर आता है। पक्षों के बीच यह स्वीकार किया गया है कि एक पंजीकृत सोसाइटी है जो वैश कॉलेज, शामली, मुजफ्फरनगर को चलाती है और उसका रखरखाव करती है। कॉलेज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत मान्यता प्राप्त है। कॉलेज का संचालन और प्रबंधन 'प्रशासन की योजना' के अनुसार गठित प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है, जिसे अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के तहत, प्रबंधन समिति ही है जो प्रधानाचार्य या शिक्षक के विरुद्ध नियुक्तियां करने, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उन्हें हटाने या निलंबित करने के आदेश पारित करने के लिए सशक्त है। पंजीकृत सोसाइटी के किसी अन्य सदस्य या प्राधिकारी के पास इन मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं है। प्रबंधन समिति जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए सशक्त है। प्रबंधन समिति अधिनियम और विनियमों के तहत एक वैधानिक प्राधिकारी है और कॉलेज के प्रशासन के मामलों से संबंधित विषयों में कार्रवाई करने के लिए कानूनी



रूप से हकदार है। प्रबंधन समिति ने ये याचिकाएं दायर नहीं की हैं। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि प्रबंधन समिति ने प्रबंधक को ये याचिकाएं दायर करने के लिए अधिकृत करते हुए कोई प्रस्ताव अपनाया था। जिस रूप में याचिकाएं तैयार की गई हैं, वे विचारणीय नहीं हैं क्योंकि वी. वी. इंटर कॉलेज, शामली, आक्षेपित आदेशों को चुनौती देने के लिए 'व्यथित व्यक्ति' नहीं हो सकता है। व्यथित पक्ष, यदि कोई है, तो वह सोसाइटी की प्रबंधन समिति स्वयं हो सकती है। रिट याचिका संख्या 10663 वर्ष 1975 में, जिसका निर्णय 1 मार्च 1976 को हुआ था, मैंने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था। इस न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने 7 जनवरी 1974 को रिट याचिका संख्या 580 वर्ष 1970 को ठीक इसी आधार पर खारिज कर दिया था। मेरे द्वारा और अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन इस न्यायालय के इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव, एआईआर 1951 इलाहाबाद 1 के पूर्ण पीठ के निर्णय द्वारा किया जाता है। सुनवाई के दौरान, प्रबंधन समिति को याचिकाकर्ता के रूप में जोड़ने के लिए रिट याचिकाओं में संशोधन का अनुरोध करने वाले संशोधन आवेदन दायर किए गए थे। उन आवेदनों को मेरे द्वारा एक अलग आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। जहाँ तक रिट याचिका संख्या 12582 वर्ष 1975 का संबंध है, इसे गुण-दोष में गए बिना खारिज करने का एक और कारण है। यह रिट याचिका 17 दिसंबर 1975 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता को उप शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील दायर करनी चाहिए। तदुपरांत याचिकाकर्ता कॉलेज ने जिला विद्यालय निरीक्षक के दिनांक 6 दिसंबर 1975 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध उप शिक्षा निदेशक, मेरठ क्षेत्र के समक्ष अपील दायर की। अपील का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है, बल्कि यह अभी भी लंबित है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अनुमोदन प्रदान करने से इनकार करने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध अपील, धारा 16-जी (3) (सी) के तहत विचारणीय है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता कॉलेज ने उस उपचार का लाभ उठाया है और अपील उप शिक्षा निदेशक के समक्ष लंबित है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने कानून में उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाया है और उस उपचार का अनुसरण उसके द्वारा अभी भी किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत



वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनना और उन पर निर्णय लेना विवेकपूर्ण अभ्यास नहीं होगा, जिन्हें उप शिक्षा निदेशक द्वारा प्रभावी ढंग से तय किया जा सकता है। याचिकाकर्ता इस आधार पर भी राहत का हकदार नहीं है। परिणामस्वरूप, दोनों याचिकाएं विफल होती हैं और खारिज की जाती हैं। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। दिनांक: 7.4.1976 हस्ताक्षरित: के. एन. एस."

(5) उक्त निर्णय की पुष्टि डिवाइजन बेंच (खंडपीठ) द्वारा इंटर-कोर्ट अपील, एस. ए. संख्या 154 वर्ष 1976, वी. वी. इंटर कॉलेज, शामली बनाम उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल, मेरठ व अन्य में, दिनांक 2.8.1976 के नीचे उद्धृत निर्णय और आदेश के माध्यम से की गई थी:

"अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. जैन का कहना है कि वे इस अपील पर जोर नहीं दे रहे हैं। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।" दिनांक: 2.8.1976 हस्ताक्षरित: जी. सी. एम. हस्ताक्षरित: के. सी. ए."

(6) उपरोक्त निर्णयों को देखते हुए, याचिकाकर्ता के नाम से आज की स्थिति में यह याचिका विचारणीय नहीं है।

सी/एम जूनियर हाई स्कूल सयर

"1. जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, तो प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री एन. के. सिंह का संक्षिप्त विवरण रखने वाले अधिवक्ता श्री कुणाल शाह द्वारा एक प्रारंभिक आपति उठाई गई कि रिट याचिका प्रबंधन समिति के प्रबंधक द्वारा प्रबंधन समिति के किसी प्रस्ताव के बिना दायर की गई थी। इस संबंध में, उन्होंने इस न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा प्रकीर्ण एकल संख्या 2694 वर्ष 2013 'बाबा हुलासी दास शिक्षा संस्थान अपने प्रबंधक और अन्य बनाम उप पंजीयक, फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स, लखनऊ क्षेत्र व अन्य' में 2.5.2013 को दिए गए निर्णय पर भी भरोसा जताया, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"विपक्षी संख्या 2 की ओर से आज न्यायालय में दाखिल संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।



याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि प्रबंधन समिति का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो याचिकाकर्ता को आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हो, इस प्रकार, रिट याचिका विचारणीय नहीं है।"

प्राप्त निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 21.8.2010 को हुए चुनाव पर कोई विवाद नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 2 को प्रबंधक और विपक्षी संख्या 2 को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित बताया गया था, हालाँकि, बाद में याचिकाकर्ता संख्या 2 ने प्रबंधक के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसका इस्तीफा 11.9.2012 की बैठक में प्रबंधन समिति द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया था। दिनांक 18.9.2012 के प्रस्ताव के माध्यम से वर्ष 2012-13 के लिए पदाधिकारियों की सूची उप पंजीयक को भेजी गई थी, जिसमें सुंदर लाल नामक व्यक्ति का नाम प्रबंधक के रूप में शामिल था, जो कि 21.8.2010 को आयोजित चुनाव में पहले उप-प्रबंधक के रूप में निर्वाचित हुए थे। उप पंजीयक ने वर्ष 2012-13 के लिए पदाधिकारियों की उक्त सूची को स्वीकार कर लिया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 2 द्वारा कथित इस्तीफे से स्पष्ट रूप से इनकार किया है, इस प्रकार, सोसाइटी के एक पदाधिकारी के बने रहने के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया है, और इसलिए, इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 21(1) के तहत न्यायनिर्णयन के लिए विहित प्राधिकारी को भेजा जाना आवश्यक था।

अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय 'महा नारायण पांडेय और अन्य बनाम रजिस्ट्रार, चिट फंड्स, फर्म्स एंड सोसाइटीज, उ.प्र. लखनऊ और अन्य [1984 यूपीएलबीईसी 550]' पर भरोसा जताया है, विशेष रूप से पैराग्राफ 7 और 9 पर, जो उद्धरण के रूप में इस प्रकार हैं:

"7. अपने आक्षेपित आदेश में, रजिस्ट्रार ने उन बिंदुओं को इस प्रकार निर्धारित किया जिनके लिए उनके निर्णय की आवश्यकता थी:-



(1) मेवा राम तिवारी और भरत सिंह को सोसाइटी की सदस्यता से हटाना।

(2) प्रबंधक के पद से महा नारायण पांडेय का इस्तीफा।

(3) स्मृति पत्र और नियमावली में संशोधन।

(4) सोसाइटी के नए पदाधिकारियों की सूची।

9. स्मृति पत्र और नियमावली में संशोधन के संबंध में, रजिस्ट्रार ने यह माना कि बेसिक शिक्षा विभाग, याचिकाकर्ता संख्या 1 से उक्त दस्तावेजों में संशोधन करने की मांग कर रहा था ताकि उन्हें कानून के अनुरूप बनाया जा सके, लेकिन याचिकाकर्ता संख्या 1 उस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रहा था। रजिस्ट्रार ने आगे यह माना कि स्मृति पत्र और नियमावली में अब किए गए संशोधन कानून की आवश्यकता के अनुसार हैं और इसलिए, वे वैध हैं। स्मृति पत्र और नियमावली के संशोधन का प्रश्न ऊपर उद्धृत धारा 25 की उप-धारा (1) में उल्लिखित नहीं है। स्पष्ट रूप से यह वह प्रश्न नहीं था जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, बिंदु संख्या 2 और 3 स्पष्ट रूप से धारा 25 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। अनुलग्नक संख्या 1-ए से पता चलता है कि भरत सिंह कृषि सचिव थे। इस प्रकार, वह सोसाइटी के एक पदाधिकारी थे। सोसाइटी की सदस्यता से उनके कथित निष्कासन में उनका कृषि सचिव के पद से निष्कासन अंतर्निहित था। इसलिए, जो प्रश्न उत्पन्न हुए थे और जिन्हें रजिस्ट्रार द्वारा तय किया गया है, उनमें से एक यह था कि क्या भरत सिंह कृषि सचिव का पद धारण करना जारी रख सकते हैं। रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज निष्कर्ष को देखते हुए, भरत सिंह उस पद पर बने हुए हैं। पुनः, इस बात पर विवाद था कि क्या याचिकाकर्ता संख्या 1 प्रबंधक का पद धारण करना जारी रखता है या क्या उक्त पद याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा किए गए कथित नामांकन के आधार पर विपक्षी संख्या 2 के पास चला गया है। इस विवाद का निर्णय लेना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि विपक्षी संख्या 2 द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष पदाधिकारियों की नई सूची प्रस्तुत की गई थी। उक्त विवादित प्रश्नों पर निष्कर्ष दर्ज करने के बाद ही नई सूची को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित बिंदु संख्या 4 के लिए इस प्रश्न का निर्धारण आवश्यक था कि क्या याचिकाकर्ता संख्या 1 प्रबंधक का पद धारण करना जारी रखता है या वह उस पद पर नहीं रहा। यह प्रश्न स्पष्ट रूप से धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आता था।



रजिस्ट्रार ने बेशक यह माना कि इस्तीफे के प्रश्न पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं था, लेकिन यदि वह पक्षों द्वारा इस संबंध में उठाए गए तथ्यात्मक विवाद में जाते, तो इसमें इस प्रश्न का निर्धारण शामिल होता कि क्या याचिकाकर्ता संख्या 1 प्रबंधक का पद धारण करना जारी रखता है, या उसने पद से इस्तीफा देकर और विपक्षी संख्या 2 को अपना उत्तराधिकारी नामित करके उस पद को छोड़ दिया है। इस प्रश्न का निर्णय लेना भी आवश्यक था क्योंकि नियमों में संशोधन के बाद भी, याचिकाकर्ता संख्या 1 नए चुनाव होने तक प्रबंधक का पद धारण करना जारी रखता, जब तक कि उसने इस्तीफा न दिया होता। यहाँ की गई चर्चा को देखते हुए, रजिस्ट्रार ने विवाद के उस हिस्से को तय करने का प्रयास किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत संदर्भ सोसाइटी के एक-चौथाई सदस्यों द्वारा और रजिस्ट्रार द्वारा भी भेजा जा सकता था। वर्तमान मामले में सोसाइटी के सदस्यों द्वारा विहित प्राधिकारी को कोई संदर्भ नहीं भेजा गया था। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रार के संज्ञान में यह आया कि पक्षों के बीच ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ है जिसे केवल विहित प्राधिकारी ही तय कर सकते हैं, उन्हें उस विवाद को स्वयं तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र को मानने के बजाय मामले को विहित प्राधिकारी को संदर्भित कर देना चाहिए था।”

रिट याचिका में शामिल विवाद का निर्णय लेने से पहले, रिट याचिका की विचारणीयता का निर्णय लेना उचित होगा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता स्वीकार करते हैं कि आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए सोसाइटी या उसके प्रबंधक, शंकर लाल यादव के पक्ष में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

उप पंजीयक ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से वर्ष 2012-13 के लिए प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की सूची को स्वीकार कर लिया है, जिसमें सुंदर लाल को सोसाइटी की प्रबंधन समिति के प्रबंधक के रूप में दिखाया गया है।

मेरा यह विचार है कि सोसाइटी को उसके प्रबंधक के माध्यम से या शंकर लाल यादव को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में अधिकृत करने वाले प्रस्ताव के अभाव में, रिट याचिका इस रूप में विचारणीय नहीं है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शंकर लाल यादव के पास आक्षेपित आदेश को चुनौती देने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।



यह देखा जाना चाहिए कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने 'उमेश चंद्र और अन्य बनाम महिला विद्यालय सोसाइटी, अमीनाबाद, लखनऊ और अन्य; [2006 (24) एलसीडी 1373]' के मामले में यह टिप्पणी की है कि सोसाइटी की ओर से प्रबंधक द्वारा दायर की गई रिट याचिका तब तक विचारणीय नहीं थी जब तक कि उसे इसे दायर करने के लिए अधिकृत न किया गया हो। न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि किसी प्रस्ताव के अभाव में, उस उद्देश्य के लिए प्रबंधक द्वारा या प्रबंधन समिति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की गई रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

प्रासंगिक पैराग्राफ 34 उद्धरण के रूप में इस प्रकार है:

'34. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एआईआर (38) 1951 इलाहाबाद 1, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, अध्यक्ष श्री हरि राय स्वरूप के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश श्रम विभाग सरकार के सचिव व अन्य के मामले में, यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 226 के तहत किसी व्यक्ति के माध्यम से एसोसिएशन की ओर से रिट याचिका केवल तभी विचारणीय हो सकती है जब यह साबित हो जाए कि एसोसिएशन के पास उस व्यक्ति की ओर से रिट याचिका दायर करने का अधिकार था जिसने रिट याचिका प्रस्तुत की है। सुविधा के लिए, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के पूर्ण पीठ के निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

"आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि, यद्यपि यह राशि एसोसिएशन की संपत्ति में से देय नहीं हो सकती है, फिर भी चूंकि भुगतान चीनी मिलों के फंड में से किया जाना है, जिनमें से बड़ी संख्या में मिलें एसोसिएशन की सदस्य हैं, इसलिए एसोसिएशन को उनकी ओर से आवेदन करने का अधिकार है। हमने पहले ही कहा है कि यह आवेदक का हित है जो कानून या शिकायत किए गए आदेश से सीधे प्रभावित होना चाहिए, और आवेदक यह दावा नहीं कर सकता कि उसके हित सीधे प्रभावित हुए हैं।"

यहाँ ऊपर संदर्भित इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर (2002) 3 यूपीएलबीईसी 2777, सरस्वती विद्या मंदिर, रेवतीपुर, गाजीपुर (अपनी प्रबंधक श्रीमती राम राखी देवी के माध्यम से) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में भरोसा जताया गया है, जहाँ सोसाइटी की ओर से दायर रिट याचिका को इस न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि प्रबंध समिति या सोसाइटी की ओर से प्रबंधक द्वारा दायर याचिका तब तक



विचारणीय नहीं थी जब तक कि उन्हें इसे दायर करने के लिए अधिकृत न किया गया हो। इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के पूर्व के अप्रतिवेदित निर्णय पर भरोसा किया था।

सरस्वती विद्या मंदिर (उपरोक्त) के निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

महताब राय, प्रबंधक, हर नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज बनाम उप शिक्षा निदेशक (सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 5808 वर्ष 1970, जिसका निर्णय 7 जनवरी, 1974 को हुआ), में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने लगभग समान परिस्थितियों में यह निर्णय दिया कि प्रबंधक या स्कूल के पास जिला विद्यालय निरीक्षक या उप शिक्षा निदेशक के अनुमोदन प्रदान करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ याचिका बनाए रखने का कोई 'लोकस स्टैंडर्ड' (सुनवाई का अधिकार) नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कॉलेज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति और उनकी सेवाओं की समाप्ति प्रबंधन समिति या सोसाइटी की शक्ति के अंतर्गत है और यह केवल प्रबंधन समिति ही है जो नियंत्रण का प्रयोग करती है। ऐसी स्थिति में, प्रबंधक स्वयं प्रबंधन समिति या सोसाइटी नहीं है और वह इस न्यायालय में तब तक रिट याचिका नहीं रख सकता जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो। इस न्यायालय के हरि राय स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव, एआईआर 1951 इलाहाबाद 1 के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि इसे प्रबंधन समिति या सोसाइटी की ओर से दायर किया गया था।”

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह द्वारा 'शांति स्वरूप' के मामले में इस न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय पर जो भरोसा जताया गया है, वह गलत प्रतीत होता है। 'शांति स्वरूप' के मामले में यह प्रश्न था कि क्या सोसाइटी के नियमों या शासी निकाय के प्रस्ताव द्वारा शक्तियों के किसी विशिष्ट प्रत्यायोजन के अभाव में, सचिव सोसाइटी की ओर से वाद दायर कर सकता है। तदनुसार, 'शांति स्वरूप' का मामला वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता प्रतीत होता है।

सरदार पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, देव नगर, मथुरा (उपरोक्त) के मामले में पुनः इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका संस्थान के प्रबंधक द्वारा विचारणीय नहीं होगी।



केवल प्रबंधन समिति या सोसाइटी ही रिट याचिका दाखिल कर सकती है। प्रबंधक, प्रबंधन समिति के कार्यों को तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो।

आर्य समाज गणेश गंज (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था कि सोसाइटी के विघटन की स्थिति में, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 6 में निहित प्रावधानों को देखते हुए, सचिव या प्रबंधक के पास वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।”

उपर्युक्त को देखते हुए, रिट याचिका खारिज की जाती है।

चूंकि रिट याचिका को विचारणीयता के आधार पर खारिज कर दिया गया है, इसलिए, रिट याचिका में शामिल विवाद का निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

2. इसी को देखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने एक नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ, रिट याचिका को 'वापस लिया गया' मानकर खारिज करने का अनुरोध किया है।

3. प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

4. रिट याचिका खारिज की जाती है।”

उमेश चंद्र

"2. वर्तमान अपील में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह है कि क्या प्रबंधन समिति या सोसाइटी की साधारण सभा के किसी प्रस्ताव के अभाव में, सोसाइटी का कोई पदाधिकारी (वर्तमान मामले में, सोसाइटी का सचिव) सोसाइटी का पक्ष रखने के लिए रिट याचिका दायर कर सकता है? क्या न्यायालय के नियमों के तहत अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए विवाद का निर्णय लेने के बाद, अपील का निर्णय लेने वाली खंडपीठ का कोई एक सदस्य एकल पीठ में बैठकर रिट याचिका का निर्णय ले सकता है? अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए अन्य प्रश्न उप-पंजीयक द्वारा पारित आदेश की समीक्षा की शक्ति के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 की प्रयोज्यता और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं।”

"68. उपर्युक्त को देखते हुए, हम अपना निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज करते हैं:



(i) अधिनियम की धारा 6 में प्रयुक्त 'निर्धारित' या 'निर्धारण' शब्द का अर्थ यह है कि सोसाइटी के नियम, उप-नियम या संविधान बनाते समय, सोसाइटी की साधारण सभा को इस मामले पर चर्चा करके नियमों में विशेष रूप से यह प्रावधान करना चाहिए कि सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करते हुए वाद दायर करने के लिए किसे अधिकृत किया जाएगा। सोसाइटी के नियमों के तहत ऐसे विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में, प्रबंधन समिति या शासी निकाय के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि वाद दायर करने के लिए सक्षम न्यायालय में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। केवल वही व्यक्ति जिसे नियमों द्वारा या शासी निकाय या कार्यकारी निकाय द्वारा वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया गया है, इस न्यायालय या अन्य न्यायालयों या अधिकरणों में वाद या याचिका दायर करने का हकदार होगा।

(ii) अधिनियम की धारा 6 के तहत, सोसाइटी के सदस्यों के लिए नियम या उप-नियम बनाते समय यह अनिवार्य होगा कि वे स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करें कि सोसाइटी की ओर से प्रतिनिधि हैसियत में वाद दायर करने के लिए कौन अधिकृत होगा। सोसाइटी के नियमों या उप-नियमों में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, अध्यक्ष, सचिव या प्रबंधक या चेयरमैन जैसा कोई भी पदाधिकारी प्रतिनिधि हैसियत में वाद दायर करने या आपति दर्ज करने का हकदार नहीं होगा। किसी पदाधिकारी को केवल प्रशासनिक या कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करना ही अधिनियम की धारा 6 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(iii) अधिनियम के तहत गठित सोसाइटी के नियमों या उप-नियमों में विशिष्ट या स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में, केवल वही व्यक्ति सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा जिसे सोसाइटी के शासी निकाय द्वारा अपने प्रस्ताव के माध्यम से विधिवत अधिकृत किया गया हो।

(iv) विधिवत सशक्त व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका या वाद केवल तभी विचारणीय होगा यदि उसे सोसाइटी के उद्देश्यों और लक्ष्यों या नियमों के अनुसार, या प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के अनुसार सोसाइटी का पक्ष रखने के लिए दायर किया गया हो। याचिका या वाद में ऐसी विशिष्ट दलीलों के अभाव में, ऐसा वाद या याचिका विचारणीय नहीं होगी।



(v) सामान्यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के असाधारण उपचार के तहत, रिट याचिका तब विचारणीय नहीं होगी यदि चुनाव के परिणाम या चुनाव के दौरान की गई अनियमितता को अधिनियम, कानून या सोसाइटी के उप-नियमों द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य वैकल्पिक उपचार को अपनाकर चुनौती दी जा सकती हो।

(vi) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, इस न्यायालय के लिए अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी की सदस्यता के मुद्दे से संबंधित विवादित तथ्य का निर्णय लेना उचित नहीं है। सदस्यता के मुद्दे का निर्णय अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, या सोसाइटी के उप-नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, या व्यथित पक्ष नियमित वाद दायर करके सक्षम दीवानी न्यायालय में जा सकता है। तदनुसार, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा सदस्यता के मुद्दे पर निष्कर्ष दर्ज करके हस्तक्षेप करना अनुज्ञेय प्रतीत नहीं होता है।

(vii) वर्तमान मामले में, श्री वाई.सी. राय, जिन्होंने रिट याचिका दायर की थी, उन्हें न तो नियमों द्वारा, न ही सोसाइटी के संविधान द्वारा और न ही कार्यकारी निकाय के प्रस्ताव द्वारा कोई शक्ति प्रदान की गई थी; इसलिए, वह इस न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के लिए सक्षम नहीं थे। तदनुसार, रिट याचिका विचारणीय नहीं थी।

(viii) रिट याचिका इसलिए भी विचारणीय नहीं थी क्योंकि रिट याचिका के मेमो में रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दलील नहीं है कि इसे सोसाइटी के हित का प्रतिनिधित्व करने या उसकी रक्षा करने के लिए दायर किया गया था।

(ix) कानूनी और तकनीकी दृष्टि से, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय इस आधार पर क्षेत्राधिकार की कमी से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है कि माननीय एकल न्यायाधीश खंडपीठ के सदस्यों में से एक थे और मामले को वापस भेजने के बाद उन्होंने रिट याचिका का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया था। हालाँकि, ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, सामान्यतः ऐसी परिस्थितियों में उस माननीय न्यायाधीश द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवाद का निर्णय न लेने के लिए विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए, जो उस खंडपीठ का सदस्य रहे हों जिसने मामले को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय के लिए वापस भेजा हो, ताकि न्याय प्रशासन में लोगों के विश्वास को बनाए रखा जा सके और उसे सुदृढ़ किया जा सके। यदि बार के किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाती



हैं, तो माननीय एकल न्यायाधीश के लिए ऐसे मामलों को निर्णय लेने के लिए किसी अन्य माननीय न्यायाधीश को स्थानांतरित करना हमेशा अनिवार्य होगा।

(x) अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप देते समय, उप-पंजीयक या सक्षम प्राधिकारी के लिए यह हमेशा अनिवार्य होगा कि वह वर्तमान निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करे। अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान किए बिना, सोसाइटी के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है।"

17. वर्तमान मामले में, प्रबंधन समिति द्वारा एक बाद का प्रस्ताव अपनाया गया है, जिसे अनुपूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, हालाँकि इसमें अभी भी प्रबंधन समिति का वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई निर्णय शामिल नहीं है, इसलिए, यह उस कमी को भी पूरा नहीं करेगा। इसलिए, यह रिट याचिका अपने वर्तमान स्वरूप में विचारणीय नहीं है क्योंकि इसके साथ वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए प्रबंधन समिति का कोई प्रस्ताव संलग्न नहीं है। प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार किया जाता है और तदनुसार रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है कि प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के साथ नई याचिका दायर की जा सके।

18. रजिस्ट्री को यह जांचने का निर्देश दिया जाता है कि प्रबंधन समिति द्वारा दायर की गई रिट याचिका के साथ रिट याचिका दायर करने और प्रबंधक को तदनुसार कार्य करने के लिए अधिकृत करने वाले प्रबंधन समिति के प्रस्ताव की एक प्रति अवश्य संलग्न हो।

19. निबंधक (अनुपालन) आवश्यक कदम उठाएं।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

17 फरवरी, 2026

एके/एन. सिन्हा